



झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग

प्रथम तल्ला, झारखण्ड राज्य हाउसिंग बोर्ड (पुराना मुख्यालय), हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची- 834002

सार्वजनिक सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने वर्ष 2019-20 से वर्ष 2020-21 का **True-up**, कंट्रोल पीरियड 2021-22 से 2025-26 का **Business Plan** एवं **MYT** तथा वर्ष 2021-22 का **Annual Performance Review (APR)** एवं वर्ष 2021-22 एवं वर्ष 2022-23 का **Annual Revenue Requirement (ARR)** करते हुए विद्युत वितरण दर निर्धारण करने हेतु आयोग के समक्ष आवेदन दिया है। आवेदन की एक प्रति स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपने वेबसाइट (<https://bslta.in/login/petition.php>) पर जारी किया था तथा इसकी सूचना दिनांक 18 एवं 19 फरवरी 2023 के विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित करते हुए दिनांक 12 मार्च 2023 तक आपत्तियाँ/सुझाव/मंतव्य मांगा गया था। उक्त आवेदन की एक प्रति झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग, राँची के वेबसाइट (www.jserc.org/sail.aspx) पर भी उपलब्ध है।

विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार विद्युत वितरण दर निर्धारण करने के पूर्व उल्लेखित आवेदन पर झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग, राँची के द्वारा जन-सुनवाई निम्नलिखित तिथि को उनके सामने दर्शायें गए समय एवं स्थान पर होना सुनिश्चित किया गया है :-

कम्पनी का नाम	जन-सुनवाई की तिथि एवं समय	जन-सुनवाई का स्थान
स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	02.06.2023 (शुक्रवार) को 2:30 बजे अपराह्न से	मुख्य सभागार, मानव संसाधन विकास केन्द्र, पहली मंजील, बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो स्टील सिटी

अतः सभी इच्छुक व्यक्ति/संस्था, उपभोक्ता समूह एवं विज्ञप्तिधारियों को सूचित किया जाता है कि जन-सुनवाई में उपस्थित होकर अपने सुझाव, आपत्तियाँ एवं मंतव्य आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

आदेशानुसार
ह./- (राजेन्द्र प्रसाद नाथक)
सचिव

SIZE- 12X12